केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली – 110032

Dated the 29th October, 2024

<u>परिपत्र/CIRCULAR</u>

विषय:-त्यौहारों पर जनता से उपहार/कीमती वस्तुएं आदि स्वीकार करना अनादरपूर्वक होने के संबंध में/Accepting gifts / valuable articles, etc. is derogatory from Members of Public on occasion of festivals – reg.

केंद्रीय सिविल सेवा(आचरण)नियमावली,1964 के नियम 13 के अनुसार किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा त्यौहारों, विवाहों के अवसर पर कोई भी उपहार, मूल्यवान वस्तुएँ आदि स्वीकार करना या अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति को जनता से या अन्यथा उपर्युक्त नियम में परिभाषित रूप में उसकी ओर से कार्य करने की अनुमति देना निषिद्ध है। नियम 3 (1) (iii) की ओर भी कृपया ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो एक सरकारी कर्मचारी के लिए अनुचित हो। उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करने पर सरकारी कर्मचारी को इन नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए एवं उसके कदाचार के लिए कार्रवाई का भागी माना जाएगा।/Rule 13 of CCS (Conduct) Rules, 1964 prohibit acceptance of any gifts, valuable articles, etc. on the occasions of festivals, marriages by any Government Servant or permit any member of his family or any other person acting on his behalf from the members of public or otherwise as stated therein. Kind attention is also invited towards Rule 3 (1) (iii) which states that every government servant shall at all-time do nothing which is unbecoming of a government servant. The violation of above said rules, shall render the government servant liable for action for his misconduct for contravening the provisions of these rules.

02. इसलिए, सभी कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे त्यौहारों/विवाहों के अवसर पर उपहार या मूल्यवान वस्तुएँ स्वीकार करने/मांगने के लिए सी.सी.एस. (आचरण) नियम, 1964 के नियम 13 का पालन करें। इस निर्देशों का उल्लंघन गंभीर परिणाम दे सकता है और ऐसे सरकारी कर्मचारी के खिलाफ निवारक कार्रवाई की जा सकती है जो इस प्रकार के कदाचार में लिप्त पाया जाता है।/ Therefore, all the employees are hereby advised to adhere to the Rule 13 of CCS (Conduct) Rules, 1964, w.r.t. acceptance/demand of gifts or valuable articles on the occasion of festivals/ marriages. Any breach of this directive would result in serious consequences and deterrent action would be taken against such Government Servant violating the Rules.

03. यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।/This issues with the approval of the Competent Authority, Central Pollution Control Board.

(कौशल्या शर्मा)/
(Kaushalya Sharma)
प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)/
Administrative Officer (P)

वितरण/Distribution:-

1	प्रभारी भवन	कृपया सभी सुरक्षा गार्डो को निदेश दें की आगंतुकों को कार्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के उपहार लाने की अनुमति न दी जाए।
2	सभी प्रभाग प्रमुख,	कृपया इसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करें।
3	सभी क्षेत्रीय निदेशालय	कृपया इसे अपने अधीनस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परिचालित करें।
4	प्रभाग प्रमुख, आई.टी. प्रभाग,	कृपया इसे सीपीसीबी की वैबसाइट पर अपलोड कर दें।
5	अध्यक्ष के निजी सचिव	
6	सदस्य सचिव के निजी सचिव	
7	सभी सूचनापट्ट	